संख्या-28/2024/।/524513/2024/003-71-2099-431-2021

प्रेषक,

ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2024

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थल्मोलाजी एण्ड रिसर्च सेन्टर, सीतापुर हेतु सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/808, दिनांक 15 मार्च, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 95.00 लाख के सापेक्ष तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 47,50,000/ (रू0 सैंतालिस लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थलमोलाजी एण्ड रिसर्च सेन्टर, सीतापुर हेतु वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 95,00,000/- के सापेक्ष तृतीय एवं चतुर्थ किश्त के रूप में धनराशि रू0 47,50,000/- (रू0 सैंतालिस लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन/महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।

(5) धनराशि के आहरण हेतु बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर को प्राधिकृत किया जाता है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 47,50,000 (रुपये सैंतालिस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210011100801 नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ आप्थलमोलॉजी एण्ड रिसर्च सेन्टर, सीतापुर को अनुदान मानक मद-20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- ई-3- /दस-2023-24, दिनांक- मार्च, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

संख्या-28/2024/।/524513/2024/003-71-2099-431-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
(3) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
(4) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
(5) कोषाधिकारी, सीतापुर।
(6) निदेशक/सचिव, नेहरू इंस्टीटयूट आफ आप्थलमोलॉजी एण्ड रिसर्च, सीतापुर।
(7) मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।
(8) वित्त ई-3
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।